बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्सः– 0612–2215611/2215978
ई–मेलः– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 03.09.2015

आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 13 जिलों के साथ विडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की गई। समीक्षा में गया, खगड़िया, बेगुसराय, दरभंगा, मधुबनी, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, एवं मुंगेर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्यालय स्तर पर निर्वाचन व्यय (पुलिस) नोडल पदाधिकारी श्री सुनील कुमार, संयुक्त सचिव, उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उपसचिव एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा तथा प्रधान सचिव श्री आर० के श्रीवास्तव के अतिरिक्त बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री आर० लक्ष्मणन् द्वारा सभी जिलों से निर्वाचन से संबंधित मुख्य बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त की गई।

समीक्षा में निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण का व्यापक प्रचार–प्रसार करने तथा यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची में नही छुटे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि इस क्रम में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी Proactive हो कर इस कार्य को कराये परन्तु यह भी ध्यान रखा जाये कि नाम जोड़ने अथवा हटाने के पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन अवश्य किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक deletion तथा rejection की सूचना आवेदक को अनिवार्य रूप से देने, मतदाता पहचान पत्र का शतप्रतिशत वितरण कराने तथा इससे संबंधित शिकायतो के निवारण में व्यक्तिगत ध्यान देने और इसकी दैनिक समीक्षा करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन से संबंधित अद्यतन जानकारी सभी स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध कराने के लिए एक DEO पोर्टल बनायें तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।

मतदान केन्द्रो पर मतदाताओं को न्यूनतम आवश्यक सुविधा यथा रैम्प (निर्धारित स्लोप को ध्यान में रखते हुये) पेयजल, पुरूष तथा महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था, बिजली (वैकल्पिक व्यवस्था के साथ) आदि की उपलब्धता की जिलावार समीक्षा की गई तथा इसे एक सप्ताह में पूर्ण कराने

का निदेश दिया गया। निर्वाचन से संबद्ध कर्मियों को पोस्टल बेलेट/ई०डी०सी० के माध्यम से मतदान कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु सभी जिलों द्वारा किये जा रहे उपायों की जानकारी प्राप्त करते हुये निदेश दिया गया कि सभी जिला चिन्हित न्यूनतम 10 प्रतिशत मतदान वाले मतदान केन्द्र के लिये विशेष कार्य योजना तैयार करें तथा प्रचार के सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रयोग करते हुये मतदाता जागरूकता, Ethical voting, सतत् अद्यतीकरण जैसे विषयों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। स्वीप से संबंधित कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तरीय आईकॉन का चयन अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया जाएगा।

शिकायतों के अनुश्रवण की गंभीरता को रेखांकित करते हुये उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इसकी दैनिक समीक्षा करने तथा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर शिकायतों का निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

****